5

विद्वत्ता और राजनीति का संतुलित व्यक्तित्व

5

राहुल की चुनौती- 'हिम्मत है तो रद्द करें ट्रेड डील'

7

हरियाली की गोद में प्रसन्न जीवन का आनंद

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 43 | प्रति सोमवार, 02 मार्च 2026 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मप्र बजट 2026-27 कर्ज में डूबी सरकार, भारी भरकम बजट के क्या मायने?

खर्च से पहले आय पर फोकस करे सरकार, फिजूलखर्ची पर कब लगेगा अंकुश?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने 2026-27 का आम बजट पेश कर दिया है। साढ़े चार लाख करोड़ से अधिक रूपये के भारी भरकम बजट में सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन बजट में केवल घोषणाएं भर दिख रही है। इन पर राशि कहां से आयेगी और कैसे आयेगी इस पर संशय बरकरार है। यही कारण है कि बजट को विपक्ष ने हास्यापद बताया है। प्रदेश पर करीब साढ़े चार लाख करोड़ का कर्ज है। यानि बजट से ज्यादा को सरकार पर कर्ज है। फिर इतना भारी भरकम बजट पेश करने की क्या जरूरत है। जो वादे बजट में किये गये हैं उनके लिए पैसा कहां से आयेगा। यह सवाल आज भी जिंदा है। मतलब साफ है कि कर्ज के भरोसे ही सरकार आगे चलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को खर्च करने के पहले आय बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। बजट भाषण लंबा था, आंकड़े भारी-भरकम थे और घोषणाओं की चमक ऐसी कि जैसे हर समस्या का समाधान अगले वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से ही मिलने वाला हो। लेकिन जमीन पर खड़े आम नागरिक की जेब टटोलिए, तो उसे अभी भी रसीदें ज्यादा और राहत कम ही मिलती है। सरकार ने बजट को "विकास का विजन डॉक्यूमेंट" बताया। सड़कों के जाल, निवेश के भव्य सपने, युवाओं के लिए अवसरों की बौछार और किसानों के लिए योजनाओं की नई फसल सब कुछ कागज पर सुव्यवस्थित दिखता है। मगर जनता को यह समझ नहीं आता कि हर साल योजनाएँ इतनी नई क्यों होती हैं और पुरानी योजनाएँ अचानक स्मृति-लेख का हिस्सा कैसे बन जाती हैं। घोषणाओं की खेती इतनी लहलहाती है कि असल खेत में खड़े किसान को समर्थन मूल्य और मौसम की मार से राहत के लिए फिर भी संघर्ष करना पड़ता है।

युवाओं के लिए कौशल, स्टार्टअप और रोजगार की बातें सुनने में आकर्षक लगती हैं। परंतु नौकरी की तलाश में शहर-दर-शहर भटकते डिग्रीधारी युवक से पूछिए तो वह कहेगा कि बजट में अवसरों की संख्या और भर्ती विज्ञापनों की संख्या का अनुपात अभी भी गणित का अनसुलझा सवाल है। कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र खुलते हैं, प्रमाणपत्र मिलते हैं, मगर नियुक्ति पत्र का इंतजार अब भी लंबी कतार में खड़ा है। महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणाएँ भी कम नहीं रहीं। सशक्तिकरण के नाम पर सहायता राशि, समूहों को प्रोत्साहन और सुरक्षा के आश्वासन सब कुछ शामिल है। पर सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से हर पात्र महिला तक पहुँचेगा? या फिर आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया में कई लाभार्थी आधे रास्ते में ही थक जाएंगे? सशक्तिकरण का अर्थ केवल राशि वितरण नहीं, बल्कि स्थायी अवसर और संरचनात्मक बदलाव भी होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता जैसे प्रश्न अब भी ज्यों के त्यों हैं। भवन बन जाने से शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः नहीं बढ़ती और मशीनें आ जाने से इलाज सुलभ नहीं हो जाता। (शेष पेज 2 पर)

श्रमिकों के कल्याण के लिए आगे आयी विष्णुदेव साय सरकार

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से लेकर आज तक श्रमिकों की भलाई के लिए कई योजनाओं और पहलों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई अहम निर्णय और योजनाएं लागू की हैं। उनके दिशा-निर्देशन में श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों ने छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया है। यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि श्रमिकों का कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। (शेष पेज 2 पर)

क्या कमलनाथ के यातायात सुधार विजन पर लग रहा ग्रहण?

आखिर क्यों घाटे का सौदा साबित हो रहा मेट्रो का संचालन?

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को विशेष रूप से उस दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने प्रदेश को आधुनिक शहरी परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाने का साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने इंदौर और भोपाल जैसे प्रमुख शहरों के लिए मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो परियोजना की शुरुआत केवल एक निर्माण कार्य नहीं थी, बल्कि यह प्रदेश को महानगरों की श्रेणी में

स्थापित करने का प्रयास था। यह सोच थी कि बढ़ती आबादी, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से ही संभव है। कमलनाथ ने मेट्रो को केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला इंजन माना। मेट्रो परियोजना के साथ रियल एस्टेट, व्यापार, सेवा क्षेत्र और रोजगार के नए अवसर स्वतः जुड़ते हैं। उन्होंने एक दीर्घकालिक योजना के तहत इन शहरों को स्मार्ट और व्यवस्थित शहरी ढांचे की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास किया। (शेष पेज 3 पर)

सभी स्नेहीजनों को *जगत प्रवाह परिवार* की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं

खर्च से पहले आय पर फोकस करे सरकार, फिजूलखर्ची पर कब लगेगा अंकुश?

(पेज 1 का शेष)

असली चुनौती व्यवस्था के संचालन और जवाबदेही की है, जिसका जिक्र भाषणों में कम और अनुभवों में अधिक मिलता है।

शहरी विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी की परिकल्पनाएँ और आधारभूत संरचना पर खर्च का वादा किया गया है। किंतु छोटे शहरों की टूटी सड़कों, जल निकासी की समस्याओं और अनियमित जलापूर्ति से जूझते नागरिकों को यह समझाना कठिन है कि विकास की गंगा उनके मोहल्ले तक कब पहुँचेगी। राजधानी में चमकते फ्लाई ओवर और जिलों में जाम से जूझती गलियाँ यह विरोधाभास अब भी कायम है। राजकोषीय अनुशासन और संतुलित वित्त प्रबंधन की बात भी जोर-शोर से की गई। लेकिन जनता का सरोकार सरल है महंगाई कम होगी या नहीं? बिजली-पानी के बिल में राहत मिलेगी या नहीं? करों का बोझ घटेगा या नहीं? बजट भाषण इन सवालों का प्रत्यक्ष उत्तर कम और परोक्ष संकेत अधिक देता है। दरअसल, हर बजट उम्मीदों का दस्तावेज होता है। सरकार उसे उपलब्धियों का रोडमैप बताती है और विपक्ष उसे वादों की पुनरावृत्ति कहता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जनता को हाथ में तुरंत कुछ ठोस नहीं दिखता, पर उसे भरोसा दिलाया जाता है कि भविष्य उज्ज्वल है। यही "भविष्य" हर साल थोड़ा और आगे खिसक जाता है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

किसानों को 01 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे: 3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 01 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।

श्रम विभाग के लिए 01 हजार 335 करोड़: श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक राज्य में 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं।

महिला सशक्तिकरण: इस बजट में महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने नारी कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 07 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों के विकास के लिए 1,651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी सुधार पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत 21,630 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है।

सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़: मुख्यमंत्री माजरा टोला के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए 12,690 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए "संध्या छाया" प्रोग्राम शुरू किया गया है।

पीएम आवास के लिए 06 हजार 850 करोड़: 06 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़: कृषि वानिकी योजना शुरू की जाएगी, इससे सरकार आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 06 हजार 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सिंहस्थ के लिए 3.60 हजार करोड़: सिंहस्थ आयोजन की तैयारियों के लिए अब तक 13 हजार 851 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ के लिए 03 हजार 60 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अधोसंरचना, यातायात, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा।

यहां सवाल खड़ा होता है कि हर विभाग की बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात कही गई है और हजारों करोड़ का बजट रखा गया है। लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए पैसा कहां से आयेगा। आखिर कर्ज के भरोसे कब तक प्रदेश को चलाया जा सकता है।

कुंभ मेला के लिए केन्द्र सरकार से 500 करोड़ मिले, मुख्यमंत्री धामी ने माना प्रधानमंत्री मोदी का आभार

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का विश्वविख्यात महापर्व है। पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह धनराशि कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में प्रधानमंत्री से कुंभ में सहायता हेतु अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम परियोजना, ऑल वेदर रोड, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार सहित विभिन्न विकास कार्यों में केंद्र का सहयोग राज्य के लिए संबल सिद्ध हुआ है। कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन के लिए यह सहयोग राज्य सरकार के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा। धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से कुंभ मेला 2027 ऐतिहासिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में स्थापित होगा तथा देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करते हुए दिव्य और भव्य कुंभ मेला 2027 आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रमिकों के कल्याण के लिए आगे आयी विष्णुदेव साय सरकार

(पेज 1 का शेष)

श्रमिकों की पंजीकरण और योजनाओं में डिजिटल सुधार: राज्य की श्रमिक कल्याण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। विभागीय पोर्टल और श्रमेव जयते मोबाईल ऐप के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और विभिन्न योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इससे श्रमिकों को सुविधा मिल रही है और राज्य सरकार को पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिल रही है। श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल जैसे मंडलों का गठन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में हुआ। इन मंडलों के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण और विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित होने की प्रक्रिया सरल और सुलभ हो गई है। वर्ष 2008 से लेकर अब तक लगभग 52 लाख से अधिक संगठित, निर्माण और असंगठित श्रमिकों को इन योजनाओं से लाभ हुआ है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन श्रमिकों के लिए 23 अरब 70 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर उन्हें लाभान्वित किया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदम: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रमिक सहायता केन्द्र और मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र 24x7 संचालित किए गए हैं, जो श्रमिकों के शिकायतों और समस्याओं के समाधान में तत्पर रहते हैं। राज्य में श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रमिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलती है। इसी प्रकार, श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 17 जिलों में गरम भोजन दिया जाता है, जिससे लगभग 8 हजार श्रमिकों को प्रतिदिन पोषण मिलता है।

श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में अहम है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना में 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा रही है, जिससे श्रमिक परिवारों के बच्चों को भी बेहतर अवसर मिल रहे हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 100 श्रमिकों के बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन योजना: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्माण श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेंशन योजना लागू की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में, 37 निर्माण श्रमिकों को पेंशन दी जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और उन्हें वृद्धावस्था में एक स्थिर आय का स्रोत मिल गया है।

ई-गवर्नेंस और श्रमिकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रमिक विभाग ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है। राज्य में डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें श्रमिकों के पंजीकरण, योजनाओं के आवेदन और अन्य कार्यों के लिए एक वेब पोर्टल और श्रमेव जयते ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से श्रमिकों को ऑनलाइन लाभ मिल रहा है और उन्हें विभागीय कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। राज्य में ई-गवर्नेंस के लिए 'ई-श्रमिक सेवा' के तहत श्रमिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को 'ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष नीति: प्रवासी श्रमिकों के हित में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 को लागू किया। इस नीति के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को उनके रोजगार और कल्याण के लिए आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। पलायन पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था के साथ, श्रमिकों को उनके घरों से दूर जाकर काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। अब इस योजना का लाभ राज्य के 15 जिलों और 17 नगरीय निकायों के क्षेत्रों में बीमित श्रमिकों को मिल रहा है। साथ ही, राज्य सरकार ने बीमित श्रमिकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सेवाएं भी शुरू की हैं, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।

आखिर क्यों घाटे का सौदा साबित हो रहा मेट्रो का संचालन?

(पेज 1 का शेष)

लेकिन मौजूदा समय में मेट्रो परिवहन की दशा और दिशा देखने से लगता है कि इस महत्वपूर्ण योजना पर ग्रहण लग गया है। लागत में बढ़ौत्री के साथ कार्य की धीमी गति ने इसे अनुपयोगी बना दिया है।

मेट्रो के संचालन में हो रहा घाटा

इंदौर और भोपाल मेट्रो जैसी योजनाएँ समय-समय पर लागत में बढ़ोतरी, तकनीकी चुनौतियों और वित्तीय बाधाओं का सामना करती रहीं। उदाहरण के लिए इंदौर मेट्रो का कुल खर्च पहले 7,500 करोड़ के करीब था, बाद में यह बढ़कर करीब 12,000 करोड़ बताया गया। कमलनाथ ने इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं के लिए नींव रखी थी। इंदौर मेट्रो का फोकस खासकर यातायात सुधार और शहर के विस्तार को जोड़ने पर था। भोपाल मेट्रो का संचालन शुरू हुए दो महीना पूरा हो चुका है, लेकिन शुरुआती उत्साह के बाद इसकी आर्थिक सेहत चिंता का विषय बनती जा रही है। सुभाष नगर से एम्स तक करीब सात किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर रोजाना मेट्रो चलाने में लगभग 08 लाख रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि इसके मुकाबले आय महज 15 हजार रुपये के आसपास सिमटी हुई है। पहले जहां मेट्रो रोजाना 17 फेरे लगा रही थी, वहीं अब यह संख्या घटकर 13 रह गई है। इसके बावजूद आमदनी में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है, जिससे प्रबंधन की चिंता और बढ़ गई है।

फेरे बढ़ाने पर मंथन, मगर सवाल बरकरार

भोपाल मेट्रो का मासिक संचालन खर्च करीब 2.5 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। यानी हर दिन लाखों रुपये खर्च कर मेट्रो चलाई जा रही है, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण आय उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पा रही। घाटे से उबरने के लिए प्रबंधन फेरों को दो से तीन गुना बढ़ाने पर विचार कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब यात्री ही नहीं बढ़ रहे, तो क्या फेरे बढ़ाने से वाकई फायदा होगा? घाटे की भरपाई के लिए मेट्रो प्रबंधन वैकल्पिक आय स्रोतों पर भी नजरें गड़ा रहा है। इसके तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर के आठ मेट्रो स्टेशनों पर विज्ञापन के लिए जगह लीज पर देने के टेंडर निकाले गए हैं। फिलहाल टेंडर खोले जाना बाकी हैं, लेकिन इनके जरिए मेट्रो की आय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शुरुआत में जहां रोजाना करीब 07 हजार यात्री सफर कर रहे थे, वहीं अब यह संख्या घटकर महज 300 से 350 प्रतिदिन रह गई है। भोपाल मेट्रो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों का भरोसा और संख्या बढ़ाने की है, वरना यह आधुनिक परिवहन व्यवस्था घाटे की पटरी से उतरती नजर आ सकती है।

अधूरे विज्ञन और वर्तमान चुनौतियाँ

कमलनाथ का यह स्पष्ट स्वप्न था कि मेट्रो परियोजनाएँ सुविचारित योजना, वित्तीय अनुशासन और चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ संचालित हों। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद परिस्थितियाँ बदलीं और वर्तमान सरकार के संचालन में कई प्रश्न खड़े हुए। मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने की रही है। भोपाल मेट्रो के निर्माण में 2500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत लगने के बावजूद, पिछले तीन महीनों में 1 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त न कर पाना चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। जिस परियोजना को कमलनाथ ने प्रदेश के विकास के प्रतीक के रूप में देखा था, वह यदि अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है, तो यह निश्चित रूप से वर्तमान प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर विचार का विषय है।

भाजपा सरकार की नीतिगत विफलता

भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह कमलनाथ के विज़न को उसी उद्देश्य और गंभीरता के साथ आगे नहीं बढ़ा सकी। विकास केवल परियोजनाएँ शुरू करने से नहीं होता, बल्कि उन्हें परिणामोन्मुख बनाना भी आवश्यक है। यदि मेट्रो जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना घाटे में चल रही है तो यह स्पष्ट संकेत है कि या तो यात्री संख्या के आंकलन में त्रुटि हुई या फिर संचालन और प्रबंधन में गंभीर कमियाँ हैं। कमलनाथ ने जिस सुव्यवस्थित, आत्मनिर्भर और भविष्य उन्मुख मेट्रो प्रणाली की परिकल्पना की थी, वह तभी साकार हो सकती थी जब उसे समान प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ लागू किया जाता।

डेढ़ वर्ष में मजबूत नींव

यह भी ध्यान देने योग्य है कि कमलनाथ का कार्यकाल पूर्ण पाँच वर्ष का नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने जो आधारभूत संरचना तैयार की, वह यह दर्शाती है कि यदि उन्हें पूरा समय मिलता तो प्रदेश का स्वरूप और अधिक परिवर्तित हो सकता था। उनकी प्रशासनिक शैली में स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही की भावना थी। उन्होंने नौकरशाही को परिणाम देने के लिए प्रेरित किया और निवेशकों में विश्वास पैदा करने का प्रयास किया। औद्योगिक कॉरिडोर, शहरी विकास, कृषि सुधार और सामाजिक योजनाओं में जो गति दिखाई दी, वह उनके नेतृत्व की प्रभावशीलता का प्रमाण है।

विकास की राजनीति बनाम प्रचार की राजनीति

कमलनाथ की राजनीति विकास-आधारित रही है। उन्होंने व्यक्तिगत प्रचार से अधिक नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत, आज की राजनीति में अक्सर प्रचार और घोषणाओं का महत्व अधिक दिखाई देता है। मेट्रो जैसी परियोजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन उनके दीर्घकालिक प्रभाव से किया जाना चाहिए। यदि वर्तमान सरकार इन परियोजनाओं को लाभकारी और जनोपयोगी बनाने में असफल रहती है, तो यह केवल आर्थिक हानि नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की भी हानि है। मध्यप्रदेश के नागरिक आज भी उस नेतृत्व को याद करते हैं, जिसने प्रदेश को नई दिशा देने का प्रयास किया। कमलनाथ ने यह दिखाया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें धरातल पर उतारा जा सकता है। प्रदेश को आवश्यकता है ऐसी नीतियों की, जो दीर्घकालिक दृष्टि पर आधारित हों, जो केवल चुनावी लाभ तक सीमित न हों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार करें। मेट्रो परियोजनाएँ, औद्योगिक निवेश, किसानों के लिए राहत ये सब उस व्यापक सोच का हिस्सा थे, जिसमें मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य था। कमलनाथ का राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने से नहीं, बल्कि उस पद का उपयोग समाज के व्यापक हित में करने से परिभाषित होता है। डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो पहल की, वह आज भी चर्चा का विषय है। मेट्रो परियोजना उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक थी। यदि आज वह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्वप्न गलत था; बल्कि यह संकेत है कि उसके क्रियान्वयन में वह प्रतिबद्धता और कुशलता नहीं दिखाई गई, जिसकी आवश्यकता थी। मध्यप्रदेश की जनता विकास चाहती है, स्थिरता चाहती है और ऐसा नेतृत्व चाहती है जो भविष्य की सोच रखता हो। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में यह विश्वास जगाया कि प्रदेश को नई ऊँचाइयों तक ले जाया जा सकता है। यही कारण है कि उन्हें विकास पुरुष के रूप में स्मरण किया जाता है एक ऐसे नेता के रूप में, जिसने सीमित समय में भी विकास की अमिट छाप छोड़ी

हर वर्ग के लिए समर्पित नेतृत्व

कमलनाथ का कार्यकाल इस दृष्टि से विशेष रहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग महिला, पुरुष, किसान, युवा, व्यापारी और कर्मचारियों को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाईं। किसानों के लिए ऋणमाफी योजना, युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख प्रयास, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहल इन सबने यह संकेत दिया कि उनकी राजनीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि क्रियान्वयन पर आधारित थी। किसानों की ऋणमाफी का निर्णय केवल एक आर्थिक राहत नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। इससे लाखों परिवारों को राहत मिली और कृषि क्षेत्र में आत्मविश्वास का संचार हुआ। इसी प्रकार, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश आकर्षित करने की दिशा में भी उन्होंने सक्रिय पहल की। उनका मानना था कि प्रदेश में रोजगार सृजन तभी संभव है जब उद्योग, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास साथ-साथ आगे बढ़ें।

देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है अन्नदाता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों की चिंता करते हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की उन्नति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री से उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों

के खातों में अंतरित करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री को धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की गई, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने लगा। इससे पहले किसानों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे आर्थिक शोषण का शिकार होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है और प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि धान के अंतर की लगभग 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित की गई। इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी किसानों के हित में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर सहित प्रदेश भर से आए किसान उपस्थित थे।

सम्पादकीय

अरविंद केजरीवाल को दी गई क्लीनचिट, न्याय की जीत या राजनीतिक लाभ का खेल?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में क्लीनचिट दी है। यह निर्णय न केवल राजनीति बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस फैसले से पहले, केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को लंबे समय से यह आरोप झेलने पड़े थे कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति में बदलाव करके वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहनता से जांच करने के बाद यह माना कि इस मामले में कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया जा सके। यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केजरीवाल और उनकी पार्टी की छवि को एक बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी और पारदर्शिता की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे में जब एक प्रमुख आरोप उनके खिलाफ था, तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बन चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई क्लीन चिट से पार्टी को एक मजबूती मिली है और यह आरोपों के खिलाफ उनकी सफाई का एक ठोस प्रमाण भी बन गया है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस सबूतों के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायपालिका का यह कदम लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना प्रमाण के दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह राजनीतिक नेता हो या सामान्य नागरिक। न्यायालय का यह कदम न्यायिक निष्पक्षता को और भी मजबूत करता है, और यह संदेश देता है कि राजनीति के दबाव में कोई भी संस्था अपने दायित्व से समझौता नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन यह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक अहम मोड़ है। यह निर्णय उन राजनीतिक विरोधियों के लिए भी एक संकेत हो सकता है जो केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ आरोपों को लेकर लगातार आलोचनाएं कर रहे थे। क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी की जीत के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि, यह भी सच है कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर लगातार हमलावर रुख अपनाया था। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इसे 'कांग्रेस और आप की मिलीभगत' करार दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, तो विपक्ष को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

यह निर्णय यह सवाल भी उठाता है कि क्या दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति को वास्तव में भ्रष्टाचार के तौर पर देखा जा सकता है या यह केवल एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा था। दिल्ली सरकार ने 2021 में शराब की बिक्री और वितरण के लिए नई आबकारी नीति बनाई थी, जिसका उद्देश्य शराब के व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बनाना था। हालांकि, यह नीति विपक्षी दलों के निशाने पर रही, जिन्होंने इसे कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का कारण बताया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह साबित करता है कि न्यायपालिका, किसी भी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ आरोपों का सही मूल्यांकन करती है, और बिना ठोस प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना गलत होगा। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में क्लीन चिट मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति के आंतरिक विवादों को अदालतें एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से सुलझाती हैं। इसके बावजूद, यह जरूरी है कि राजनीति में प्रतिद्वंद्विता और आरोप-प्रत्यारोप से बचने के लिए नेताओं और दलों को अपनी नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। इस फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी इस क्लीन चिट को किस तरह अपने राजनीतिक अभियान में प्रयोग करती है और विपक्ष इसे किस तरह से जवाब देता है।

सियासी गहमागहमी

उमंग सिंगार ने मोहन सरकार को विधानसभा में घेरा

मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस नेता उमंग सिंगार का भाषण और उनकी तीखी आलोचना ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को एक बार फिर मुश्किलों में डाल दिया है। उमंग सिंगार ने मोहन यादव की सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और उन्हें राज्य की प्रगति और विकास के मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए यह आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाए। उमंग सिंगार का यह हमला, विशेष रूप से विधानसभा के सत्र के दौरान, इस बात का संकेत है कि मध्यप्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। कांग्रेस द्वारा किए गए हमलों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष अब आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और वह सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर मोर्चाबंदी कर रहा है। हालांकि, मोहन यादव और उनकी सरकार ने इन आरोपों को नकारते हुए अपने विकास कार्यों को उजागर किया, लेकिन विपक्ष के इस हमले ने सरकार के खिलाफ एक नई राजनीतिक जंग को जन्म दिया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर राजनीति किस दिशा में बढ़ती है और क्या यह आरोप जनता के बीच सरकार के खिलाफ गुस्से को और बढ़ाते हैं।

भूपेश बघेल के लिए बढ़ सकती है

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए राजनीतिक माहौल अब एक नई चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, जब ईडी ने उनके खिलाफ शिकंजा कसने की योजना तैयार की है। यह आरोप प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अब गंभीर रूप से लिया जा रहा है। भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकती है, बल्कि प्रदेश सरकार की स्थिरता भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि, भूपेश बघेल ने हमेशा खुद को एक सख्त और पारदर्शी नेता के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन अब इस मामले से उनके खिलाफ विपक्षी दलों का आक्रोश और भी बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी पर आरोपों के बीच राजनीतिक विरोधी उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल मान सकते हैं। इसके अलावा, इस मामले के बढ़ने से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। कुल मिलाकर, भूपेश बघेल के लिए यह समय संवेदनशील है, और उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई कठिन फैसले लेने होंगे।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

आज भारत में Compromised PM के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा "अपराध" बना दिया गया है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे-धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है, जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

प्रदेश में स्कूली शिक्षा पूरी तरह चौपट होती जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के एक लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, वहीं 1895 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कोई शिक्षक ही नहीं है। शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

विद्वत्ता, राजनीति और कूटनीति का संतुलित व्यक्तित्व की मिसाल है सलमान खुर्शीद

समता पाठक/जगत प्रवाह

सलमान खुर्शीद भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने कानून, शिक्षा, साहित्य और कूटनीति सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनका जन्म 1 जनवरी 1953 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता खुर्शीद आलम खान भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रहे। पारिवारिक वातावरण में राजनीति और सार्वजनिक जीवन की गहरी समझ बचपन से ही उन्हें मिली। सलमान खुर्शीद ने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से प्राप्त की, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (इंग्लैंड) गए, जहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन के दौरान उन्होंने न केवल विधि की बारीकियों को समझा, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण और उदार लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आत्मसात किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत प्रारंभ की और एक सक्षम अधिवक्ता के रूप में पहचान बनाई।

राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ की। 1980 के दशक में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। वे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से कई बार सांसद रहे। केंद्र सरकार में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे विदेश मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जैसे अहम मंत्रालयों का दायित्व संभाल चुके हैं। विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में भारत ने अनेक देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ किया। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने न्यायिक सुधारों और विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में उन्होंने सामाजिक समावेशन और शैक्षिक सशक्तिकरण पर बल दिया। सलमान खुर्शीद केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक साहित्यकार भी हैं। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है, जिनमें राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और समकालीन भारतीय समाज पर उनके विचार परिलक्षित होते हैं। उनकी लेखनी में तार्किकता, संवेदनशीलता और उदार चिंतन का समन्वय दिखाई देता है। वे सार्वजनिक विमर्श में संयमित भाषा और विचारशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें चुनौतियों और विवादों का भी सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखा। वे कांग्रेस पार्टी के बौद्धिक चेहरों में गिने जाते हैं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के पक्षधर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे शिक्षित, सुसंस्कृत और सरल व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद भी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। सलमान खुर्शीद का जीवन इस बात का उदाहरण है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि विचार, सेवा और प्रतिबद्धता का क्षेत्र भी है। विधि, साहित्य और कूटनीति के अनुभव से समृद्ध उनका व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र में बौद्धिक और वैचारिक योगदान के रूप में सदैव याद किया जाएगा।

भोपाल में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, पीएम मोदी को दी चुनौती- 'हिम्मत है तो रद्द करें ट्रेड डील'

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया। सम्मेलन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील में प्रधानमंत्री ने देश को बेच दिया। इस समझौते से देश का डेटा सौंपा गया, किसानों, टेक्सटाइल उद्योग को बेच दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गलत बताया है। उन्होंने भोपाल के मंच से पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपमें हिम्मत है तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को रद्द कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण बाद पहले वाला प्रतिपक्ष का नेता होता है। यह हर साल हुआ। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलते नहीं दिया गया। मैंने अपने भाषण शुरू किया मुझे रोका गया फिर शुरू की रोका गया मैंने नरवाडे जी की बात उठाई उन्होंने किताब लिखी है उसमें साफ लिखा जब चीन के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और पूछ मेरे लिए आर्डर क्या है।

चार माह तक अटकी रही, अचानक ट्रेड डील

चार माह तक कृषि के मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका का समझोता रुका था, हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी कि अमेरिका का अनाज भारत में बिके। संसद में मेरा भाषण खत्म हुआ उसी दिन मोदी जी ने ट्रम्प को फोन लगाया, ट्रम्प ने ट्वीट कर यूएस इंडिया डील साइन होने की बात की। मोदी संसद से भागकर गए और संसद में खड़े नहीं हुए, कैबिनेट से भी नहीं पूछा।

अमेरिका में लाखों एपस्टीन फाइल्स

राहुल ने कहा कि अमेरिका में लाखो फाइल एपस्टीन की बंद पड़ी है। हरदीप पुरी का नाम रिलीज किया। ये मेसेज दिया कि हमारी नहीं सुनी तो फाइल निकलेगी। कई नाम अब भी छुपे है। भोपाल में जहाँ भी देखो अदानी दिखा। अदानी बीजेपी का वित्तीय स्ट्रक्चर है। अदानी अमेरिका नहीं जा सकते है। अदानी पर अमेरिका में केस है। वो तीर अदानी पर नहीं नरेंद्र मोदी पर मारा जा रहा है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में है।

जिस राष्ट्र के लोग अपना धर्म और संस्कृति छोड़ देते हैं वह राष्ट्र बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाता है- भूपेन्द्र सिंह, पूर्व गृहमंत्री

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। जिस राष्ट्र के लोग अपने धर्म और संस्कृति को छोड़ देते हैं वह राष्ट्र बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाता है। भाजपा कार्यकर्ता राजनीति से नहीं राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होता है। सिद्धांत, मूल्य, राष्ट्र और राष्ट्रप्रेम और सेवा के लिए संकल्प भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान है। यह बात पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने देवरी विधायक बृजबिहारी पटैरिया के जन्मदिन पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मान दिवस पर अपने संबोधन में व्यक्त किए। भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि 2003 में भाजपा सरकार आने के बाद देवरी क्षेत्र के विकास का युग आरंभ हुआ। आज सागर से सिर्फ 40 मिनट में देवरी पहुंचा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई का बनाया गया स्वर्णिम चतुर्भुज फोर लेन यहां से निकला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देवरी के गांव गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में 2003 तक देवरी विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्त्रोतों से सिंचाई का रकबा मात्र 2800 हेक्टेयर था। 20 साल बाद देवरी विधानसभा क्षेत्र में कुल सिंचित 60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में से 29000 हेक्टेयर रकबा सरकारी स्त्रोतों से सिंचित हो रहा है। यहां आज 40 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हैं जिनमें से 25 पूर्ण हो चुकी हैं और 11 सिंचाई परियोजनाओं का कार्य संचालित है। यह सब भाजपा की सरकार ने संभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लाकर 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि शीघ्र ही भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। सिंह ने कहा कि देवरी विधायक बृजबिहारी पटैरिया ऐसे स्वाभिमानी और विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने मेरे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष किसी पद या टिकट की शर्त नहीं रखी थी बल्कि यह कहा था कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के लिए काम करना चाहता हूं। बाद में पार्टी ने उन्हें देवरी से चुनाव लड़ाया। कार्यक्रम को दमोह सांसद राहुल सिंह, पूर्व सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक बृजबिहारी पटैरिया, जिला भाजपा अध्यक्ष श्याम तिवारी, ग्रामीण जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती रानी कुशवाहा, जिला पंचायत सभापति हीरा सिंह ने भी संबोधित किया।

पुलिस ने 152 किलो गांजा पकड़ा, अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क ध्वस्त

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान "OPERATION EAGLE CLAW" के तहत नरसिंहपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 पर घेराबंदी कर 152 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है तथा एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन के जरिए भारी मात्रा में गांजा छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी नरसिंहपुर मनोज गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली की विशेष टीम गठित की गई। तस्कर ने बड़ी चालाकी से गांजे को खाली कैरेटों के बीच छिपाया था ताकि पुलिस की नजर से बच सके, लेकिन सतर्कता से की गई तलाशी में पूरी खेप पकड़ी गई।

छत्तीसगढ़ से यूपी जा रही थी नशे की खेपः पकड़े गए चालक ने अपना नाम रोहित सिंह निवम, निवासी ग्वालियर बताया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह यह गांजा राजनांदगांव से झांसी लेकर जा रहा था, जो वाहन मालिक बंटी सोनी के कहने पर लाया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 8/20 (ख), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

कार्यपालिका की भी तय हो जवाबदेही

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

न्यायपालिका के साथ विधायिका और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की पाठ्य पुस्तकों में धर्म, इतिहास और प्राचीन भारतीय विज्ञान व ज्ञान परंपरा से संबंधित यदि कोई पाठ जोड़ा जाता है, तो वह अकसर विवाद का कारण बनता है। यहां तक कि लोकसभा में हंगामा होता है और बदली गई पाठों वाली पुस्तकें जलाई जाती हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में एक नया पाठ जोड़कर 'आ बैल मुझे मार' कहावत को चरितार्थ कर किया है। इस पाठ के जरिए अब विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम उम्र से ही न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और लंबित मामलों के साथ-साथ वास्तविक चुनौतियों से भी परिचित कराया जाएगा। इसमें मुकदमों का बोझ एवं न्यायाधीशों की कमी पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की अदालतों में खूब भ्रष्टाचार है। कुछ समय पहले ही एक न्यायाधीष के निवास पर करोड़ों रुपए मिलने के बाद उन पर महाभियोग चलाने की बात भी उठी थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में है। यायद इसीलिए इस पाठ में जबावदेही के साथ महाभियोग प्रक्रिया का भी ज्ञान दिया गया है। लेकिन क्या इससे भी बहतर स्थिति कार्यपालिका और विधायिका में नहीं है? यदि इस पाठ में संविधान के इन स्तंभों को भी जोड़ दिया जाता तो शायद यह पहल निर्विवादित रहती? लेकिन ऐसा न करके एनसीईआरटी में बेवजह एक नए विवाद को आमंत्रित कर दिया है। हालांकि वकीलों द्वारा आपत्ति जताई जाने और सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ले लिए जाने के बाद इस पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यायपालिका ने इसे न्यायपालिका को सुनियोजित ढंग से बदनाम करने की साजिश माना है।

न्यायालयों में पर्याप्त भ्रष्टाचार है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के उस पर बात करना उचित नहीं है। जहां तक न्यायालयों में लंबित मुकदमों और न्यायाधीशों की कमी की बात है तो अदालतें स्वयं ही आंकड़े प्रस्तुत करती रहती हैं। इन कमियों को सामने लाना न्यायपालिका की पारदर्शिता को जताता है। लेकिन लगभग यही स्थिति देश की राजस्व न्यायालयों में भी है, जिन्हें आधारित नायाब तहसील, तहसील, एसडीएम, जिलाधीश और आयुक्त न्यायालय करती हैं। 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' अध्याय में उल्लेखित है कि 'न्यायाधीश आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो उनके न्यायालय के भीतर और बाहर दोनों प्रकार के आचरण को नियंत्रित करती है।' पुस्तक में यह भी दर्ज है कि कई स्तरों पर भ्रष्टाचार के अनुभव देखने में आते है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों की न्याय तक पहुंचने की उम्मीद प्रभावित होती है। परंतु यहां सवाल उठता है कि राजस्व न्यायालयों में यह स्थिति और भी ज्यादा खराब है। इनमें तो भूमि स्वामी तक का बाला-बाला नाम बदल दिया जाता है। जब मामला सामने आता है तो उसे कंप्यूटर की भूल बता दिया जाता है। विधायिका में तो कई सांसद और विधायक सदन में सवाल पूछने की रिश्वत लेते समाचार चैनलों द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ऐसे में यदि कार्यपालिका और विधायिका को भी इस पाठ में सम्मिलित कर दिया जाता तो विद्यार्थियों को यह पता चलता कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ भ्रष्टाचार से किस हद तक प्रभावित हो रहे हैं।

इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को मीडिया मंच एक्स पर कहने का मौका मिल गया कि इस पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े भाग की आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब न्यायपालिका पर चर्चा की जा रही है, तो कार्यपालिका और विधायिका में समान रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं की गई? उन्होंने यहां तक कहा कि पुस्तक में राजनेताओं, मंत्रियों, लोक सेवकों और जांच एजेंसियों में कथित भ्रष्टाचार पर कोई चर्चा नहीं की गई है।' हमारे संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के विभाजन की संवैधानिक व्यवस्था है। अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते समय ये संस्थाएं लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को ध्यान में रखें तो न्यायालयों में बोझ घटने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आज न्यायपालिका में मुकदमों का ढेर लगा है, उसके लिए जिम्मेदार प्रमुख प्राधिकरणों द्वारा अपना काम ठीक से नहीं करना है। इसलिए सबसे बड़ी मुकादमेबाज राज्य सरकार हैं। न्यायालयों में 66 प्रतिशत मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं। राजस्व न्यायालय एक तो भूमि संबंधी प्रकारणों का निराकरण नहीं करती हैं, दूसरे न्यायालय निराकरण कर भी देती हैं तो उस पर वर्शों अमल नहीं होता है। नतीजतन अवमानना के मुकादमे बढ़ने की भी एक नई श्रेणी तैयार हो रही है। अदालत का आदेश होने के बावजूद उसका क्रियान्वयन नहीं करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तहसीलदार यदि भूमि के नामांतरण और बंटवारे समय पर कर दें तो किसान अदालत क्यों जाएगा? यदि नगर निगम, नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायत ठीक से अपना काम करें तो नागरिक न्यायालय का रुख क्यों करेगा ? यदि राजस्व विभाग परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण विधि सम्मत करें तो लोग अदालत के दरवाजे पर दस्तक क्यों देंगे? गौरतलब है कि जब राजस्व विभाग के अधिकारी भी संवैधानिक पदाधिकारी होने के साथ इस व्यवस्था का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं तो फिर वे अपने कर्तव्य का पालन अपने क्षेत्राधिकार में करने से क्यों बचते हैं। वास्तव में इन तीनों स्तंभों को समन्वय के साथ दायित्व पालन करते हुए राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। अतएव पाठ में तीनों स्तंभों की कमजोरियों को शामिल किया जाता तो विद्यार्थियों को सम्यक और व्यापक ज्ञान की प्राप्ति होती?

अदालतों में मुकादमों की संख्या बढ़ाने में राज्य सरकारें निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं। वेतन विसंगतियों को लेकर एक ही प्रकृति के कई मामले ऊपर की अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें से अनेक तो ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें सरकारें आदर्ष व पारदर्षी नियोक्ता की षर्तें पूरी नहीं करतीं हैं। नतीजतन जो वास्तविक हकदार हैं, उन्हें अदालत की षरण में जाना पड़ता है। कई कर्मचारी सेवानिवृति के बाद भी बकाए के भुगतान के लिए अदालतों में जाते हैं। जबकि इन मामलों को कार्यपालिका अपने स्तर पर निपटा सकती है। हालांकि कर्मचारियों से जुड़े मामलों का सीधा संबंध विचाराधीन कैदियों की तादाद बढ़ाने से नहीं है,लेकिन अदालतों में प्रकरणों की संख्या और काम का बोझ बढ़ाने का काम तो ये मामले करते ही हैं।

इसी तरह पंचायत पदाधिकारियों और राजस्व मामलों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में न होने के कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बिजली बिलों का विभाग स्तर पर नहीं निपटना भी अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। कई प्रांतों के भू-राजस्व कानून विसंगतिपूर्ण हैं। इनमें नाजायज कब्जे को वैध ठहराने के उपाय हैं। जबकि जिस व्यक्ति के पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं, वह भटकता रहता है। इन विसंगतिपूर्ण धाराओं का विलोपीकरण करके अवैध कब्जों से संबंधित मामलों से निजात पाई जा सकती है। लेकिन नौकरशाही ऐसे कानूनों का वजूद बने रहना चाहती है, क्योंकि इनके बने रहने पर ही इनके रौब-रुतबा और पौ-बारह सुनिश्चित हैं।

अलबत्ता आज भी ब्रिटिश परंपरा के अनुसार अनेक न्यायाधीश ग्रीष्म ऋतु में छुट्टियों पर चले जाते हैं। सरकारी नौकरियों में जब से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ है, तब से हरेक विभाग में महिलाकर्मियों की संख्या बढ़ी है। इन महिलाओं को 26 माह के प्रसूति अवकाश के साथ दो बच्चों की 18 साल की उम्र तक के लिए दो वर्ष का 'बाल सुरक्षा अवकाश' भी दिया जाता है। अदालत से लेकर अन्य सरकारी विभागों में मामलों के लंबित होने में ये अवकाश एक बड़ा कारण बन रहे हैं। इधर कुछ समय से लोगों के मन में यह भ्रम भी पैठ कर गया है कि न्यायपालिका से डंडा चलवाकर विधायिका और कार्यपालिका से छोटे से छोटा काम भी कराया जा सकता है। इस कारण न्यायलयों में जनहित याचिकाएं बढ़ रही हैं, जो न्यायालय के बुनियादी कामों को प्रभावित कर रही हैं। जबकि प्रदूषण, यातायात, पर्यावरण और पानी जैसे मुद्दों पर अदालतों के दखल के बावजूद इन क्षेत्रों में बेहतर स्थिति नहीं बनी है। सरकारी नौकरी में आर्थिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा निर्मित हो जाने से बौद्धिक योग्यता और पद प्रतिष्ठा की एक नई संस्कृति पनपी है। यदि कोई युवक या युवती सिविल जज बन जाता है, तो वे सिविज जज से ही शादी करने लग गए हैं। शादी के बाद दंपत्ति की अलग-अलग जगह पदस्थापना इन्हें मिलने में रोड़ा बनती है, अतएव ये लोग किसी न किसी बहाने छुट्टी लेकर एक-दूसरे से मिलने चले जाते हैं। ये नई संस्कृति अदालतों में काम का बोझ बढ़ाने का नया कारण बन गई है। अतएव इस तरह के बिंदु नए पाठ में शामिल कर दिए जाते तो विद्यार्थियों को अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मुकदमों की बढ़ती संख्या की व्यापक जानकारी मिलती।

नर्मदापुरम मुख्यालय की यातायात व्यवस्था अत्यंत भयावह, रोज हो रहे झगड़ेः भवानी शंकर शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। नर्मदापुरमः संभाग का जिला मुख्यालय जहां भाजपा के दो दिग्गज सांसद सहित विधायकों और प्रदेश स्तर के पार्टी पदाधिकारियो के होने के बाद जिनके केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सीधे संपर्क होने के बावजूद कमिश्नरी मुख्यालय की यातायात व्यवस्था अत्यंत भयावह हो रही है। प्रशासन के जवाबदार अधिकारियों की बैठकों के बावजूद भी नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं जनहितैषी मुद्दों को लेकर हमेशा पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन सहित जवाबदारों को उनकी जवाबदेही बताने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने अब नर्मदापुरम कलेक्टर को पत्र लिखकर हलचल मचा दी है। शर्मा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर नर्मदापुरम शहर की प्रशासनिक, न्यायिक एवं यातायात आदि की उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया है। शर्मा ने लिखा कि मैंने 28 जनवरी को भी पत्र लिखा था परंतु उसे कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ना ही मेरी अपील पर सुनवाई की तारीख तय की गई। यह खुलेआम न्यायिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना है। एसडीएम के आदेश के विरुद्ध अपील पर तारीख देने के बदले उसे दबाना अवैधानिक है, यह जिले के मुखिया का कर्तव्य नहीं है। शहर की यातायात व्यवस्था अत्यंत भयावह है, जिसके कारण रोज झगड़ा हो रहे हैं।सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों पर तो कार्रवाई हो ही सकती है। सब्जी की दुकान तथा हाथठेले हट ही सकते हैं। सड़क पर पैदल चलना भी दुश्वार है, यातायात पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। नगर पालिका प्रतिनिधि का कहना है कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। शहर में अराजकता का माहौल है। अधिकारियों की निरंतर बैठक, सर्किट हाउस में फिल्मों की शूटिंग तथा राजनीतिक पार्टियों के नगर अध्यक्ष के यहां सौजन्य भेंट आदि कारणों में व्यस्त रहने के कारण आपके पास समय नहीं है।

समाचार पत्र साप्ताहिक जगत प्रवाह के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित विवरण घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिये)

1.	प्रकाशन स्थान	: भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	: साप्ताहिक
3.	मुद्रक का नाम	: विजया पाठक
	नागरिकता	: भारतीय
	पता	: एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
4.	प्रकाशक का नाम	: विजया पाठक
	नागरिकता	: भारतीय
	पता	: एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
5.	संपादक का नाम	: विजया पाठक
	नागरिकता	: भारतीय
	पता	: एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)
6.	उन व्यक्ति के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	: विजया पाठक एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)

मैं विजया पाठक एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि ऊपर दिया गया समस्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह सच है।

प्रकाशक के हस्ताक्षर

विजया पाठक

दि. 02/03/2026

हरियाली की गोद में प्रसन्न जीवन का आनंद

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

भागदौड़ भरे जीवन में लोग इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर की अनुपम कृति प्रकृति से अंजान रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति प्रकृति के जितना समीप होता है सुख का सूर्योदय उतनी ही शीघ्रता से उगता प्रतीत होता है। आजकल लोग क्रोधी स्वभाव के बनते जा रहे हैं, इसका कारण ही यह है कि वे प्रकृति से दूर हो गए हैं। बहुत कम व्यक्ति अब प्रकृति के परिवर्तन को महसूस करते हैं या आनंद लेते हैं। बचपन इसलिए आनंद में बीतता है क्योंकि हम उस कालखंड में प्रकृति से जुड़े रहते हैं। बरसात में बच्चे भीगना चाहते हैं या हाथों को फैलाकर बूंदों को महसूस करते हैं। तितलियों के पीछे भागते हैं, पेड़ों पर उतरते हैं, चढ़ते हैं। इस तरह प्रकृति से तालमेल बनाकर इसका आनंद लेते हैं। लेकिन बड़े होने पर समाज की चुनौतियां भर दी जाती है और हम सफलता असफलता के चक्कर में में फंसते चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रकृति के इस आनंद से वंचित रह जाते हैं।

हमारा उद्देश्य प्रकृति के साहचर्य में रहकर आनंद लेने का प्रयास होना चाहिए। जैसे- पेड़ पौधों को आलिंगन में लेकर, पशुओं के संपर्क में रहकर या खुली आंखों से हरियाली को देखकर आदि। प्राकृतिक दृश्यों को निहारकर भी हम पोषण पा सकते हैं। यह फिलाडेल्फिया के एक अस्पताल में पर्यावरण मनोविज्ञान को लेकर एक शोध से पता चलता है। जिसमें कुछ ऐसे रोगियों को लिया गया जिन्हें पित्ताशय की बीमारी थी। सभी की एक ही स्थिति थी। कुछ रोगियों को एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहां से सिर्फ ईंटों से बनी इमारतें दिखती थीं एवं कुछ ऐसे रोगियों को रखा गया था जहां से सिर्फ पेड़ पौधे दिखते थे। शोध में पाया गया कि जिन लोगो को पेड़ पौधे दिखते थे वे जल्द ठीक हो गए जबकि ईंटों की बनी इमारतें देखने वालों की बीमारी देर से ठीक हुआ। इससे यह पता चला कि हरियाली देखने मात्र से "हीलिंग प्रोसेस" बढ़िया रहा। तभी तो प्रकृति को "मदर नेचर" कहा जाता है। यह धरती हमारी मां है और अस्तित्व का कारण भी है। हमें पोषित करने के लिए यह धरती प्रकृति के जरिए हर वो चीज हम तक पहुंचाती है जिसकी हमें जरूरत होती है। पृथ्वी जननी है तो प्रकृति पोषक है।

अच्छा यही है कि हम प्रकृति की गोद में फले फूलें। इसके लिए ध्यान रखना होगा कि हम अपने आस पास के वातावरण को सुरम्य और सौम्य बनाएं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि जो स्थान प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, जहां हरियाली, नदी, तालाब है और प्रदूषण से मुक्त है वहां जाने पर अपने व्यवहार में सौम्यता एवं मन में प्रसन्नता अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति से जुड़ने के और भी उपाय हैं जैसे हमें सूरज, हवा, धरती, आकाश से जुड़ना चाहिए। माना जाता है कि सुबह सूरज के सामने आने से हमसे जुड़ी नाकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। उसी प्रकार भवन से बाहर जा कर अपनी त्वचा पर हवा के स्पर्श को महसूस करना चाहिए। यह शरीर और मस्तिष्क को आराम देता है। धरती से जुड़ने के लिए नंगे पांव घास या रेत पर चलना चाहिए। इससे अपने जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस होता है। आकाश से जुड़ने पर खुलेपन की भावना विकसित होता है। इसी प्रकार बादल, चांद, तारों पेड़ पत्तों से भी जुड़ने की अवश्यकता है। हमारे अधिकतर पर्व त्योहार भी पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के आंगन में ऊर्जा का महान भंडार संचित है। हमे स्वस्थ शरीर के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वह प्रकृति से ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रकृति के संपर्क में रहकर जितनी अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है वह उतना ही अधिक स्वस्थ और दीर्घायु रहता है

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष

निष्ठा, समर्पण और साहस की प्रतिमूर्ति हैं महिलाएं

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन जो हमें महिलाओं की अदम्य भावना और उनकी असाधारण उपलब्धियों की याद दिलाता है। महिलाएं अपने जीवन में कई भूमिकाएँ निभाती हैं, जिनमें से प्रत्येक अनूठी चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरी होती है। कभी बेटी, कभी पत्नी, तो कभी माँ, वे हर किरदार को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाती हैं। आधुनिक समाज में, महिलाओं ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादों से समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीख लिया है। वे हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, व्यवसाय हो, विज्ञान हो, कला हो या खेल हो। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए, महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन के जोरदार प्रयासों के बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन पब्लिक हॉलीडे को सहमति दी। इसके फलस्वरूप 19 मार्च 1911 को पहला IWD ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया। हालांकि महिला दिवस की तारीख को साल 1921 में बदलकर 08 मार्च कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 08 मार्च को ही मनाया जाता है। भारत में, सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए भी कानून बनाए हैं। भारत में, पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार देने के लिए संविधान में प्रावधान हैं। हालांकि, अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि सभी महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलें।

महिला दिवस पर कार्ययोजना

1. घर में काम करने वाली बाई के लिए

* सम्मान और सराहनाः उन्हें महिला दिवस की शुभकामनाएं दें और उनके काम के लिए आभार व्यक्त करें। उन्हें बताएं कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है और वे आपके परिवार का कितना अभिन्न हिस्सा हैं।
* आर्थिक सहायताः उन्हें उनकी नियमित आय के अतिरिक्त कुछ उपहार या बोनस दें। उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्हें बचत योजनाओं या बीमा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें।
* शिक्षा और विकासः उन्हें उनकी रुचि के अनुसार किसी कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करें।
* स्वास्थ्य और कल्याणः उनके स्वास्थ्य की जांच कराएं और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें आराम करने और अपने लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करें।

2. कार्यालय में महिला कर्मचारियों के लिए

* समान अवसरः यह सुनिश्चित करें कि सभी महिला कर्मचारियों को पुरुषों के समान अवसर मिलें। उन्हें नेतृत्व के पदों पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें।
* प्रशिक्षण और विकासः उन्हें उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करें। उन्हें नए कौशल सीखने और अपनी पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।
* सुरक्षित कार्यस्थलः एक सुरक्षित और सहायक कार्यस्थल वातावरण बनाएं जहां महिलाएं बिना किसी डर के काम कर सकें। उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सख्त नीतियां लागू करें।
* कार्य-जीवन संतुलनः महिला कर्मचारियों को कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद करें। उन्हें लचीले काम के घंटे और अवकाश नीतियां प्रदान करें।
* प्रेरणा और मान्यताः उनकी उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्हें उनकी मेहनत और समर्पण के लिए पुरस्कार और मान्यता दें।

महिलाओं को सशक्त बनाने का अवसर

* महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करें जहां महिलाएं अपनी कहानियाँ साझा कर सकें और एक-दूसरे को प्रेरित कर सकें।
* महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें।
* महिलाओं के लिए बनी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें।
* यह कार्य योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने में मदद करेगी।

गीता निकेतन को-एड स्कूल के विद्यार्थियों ने गोमुख मठ के दर्शन किए

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। गीता निकेतन को एड स्कूल टिमरनी द्वारा बच्चों को गोमुख धाम भादूगांव दर्शन कराए गए। यह एक अद्भुत प्राचीन स्थान माना जाता है जिसके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। यह टिमरनी से 15 किलोमीटर दूर भादूगांव ग्राम में स्थित गौमुख के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें लगातार विगत कई वर्षों से गौ माता के मुंह से पानी लगातार निकलता रहता है जिसे आज तक वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध नहीं कर पाए कि यह पानी कहां से आ रहा है। यह एक अद्भुत भव्य स्थान है जो देखने योग्य है। इस तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए गीता निकेतन स्कूल परिवार के बच्चे एवं शिक्षक सभी यहां पहुंचे और दर्शन प्राप्त किया। स्कूल परिवार की ओर से डायरेक्टर डॉ. गणेश पाटिल, निशा पाटील जैनु लौवंसी, वर्षा मालवीय, सिया परदेसी, योगिता मालाकार सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे।

वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES | MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD. | इन्वेस्ट मध्यप्रदेश उद्योग पूर्व रोजगार वर्ष 2025

मध्यप्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि का द्वार

देश का सबसे बड़ा

'पीएम मित्र' पार्क

धार, मध्यप्रदेश

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 5F विज़न

फार्म टू फाइबर । फाइबर टू फैक्ट्री । फैक्ट्री टू फैशन । फैशन टू फॉरेन

कम्पलीट वैल्यू चेन @ वन डेस्टिनेशन

कताई से लेकर सिलाई तक पूरी प्रक्रिया के लिये एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क

पार्क क्षेत्र - 2,158 एकड़

₹ 20 हजार करोड़ का निवेश सुनिश्चित

3 लाख लोगों को रोज़गार

टेक्सटाइल के क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठित 91 कंपनियों को निवेश प्रस्ताव के अनुरूप भूमि आवंटित

फार्म से फॉरेन तक मध्यप्रदेश का वस्त्र उद्योग

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

R.O. No. : D19345/25

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)